फारम संख्या 562

# ...ालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

आदेश पत्रक

मुन्ना दास ......प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम प्रदीप यादव वगैरह ......द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ........................से ........................तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....06/2023.......सन् 2023

धारा 144 द०प्र०स०

| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 27/12/22 | आवेदक मुन्ना दास पिता चोवा दास, साकिन-नगलो, थाना-बिरनी, जिला- गिरिडीह द्वारा दं०प्र०सं० की धारा 144 के अंतर्गत विवादित भूमि मौजा- नगलो अंतर्गत, खाता नं0-28, प्लॉट नं0-230, रकवा-09 डी0, चौहद्दीः उ0-जितन चमार, द0-परती कदीम, पू0-परती कदीम, प0-परती कदीम में भू-विवाद के कारण निषेधाज्ञा लागू करने हेतु आवेदन दिया गया है। प्राप्त आवेदन पर जॉच/मंतव्य अंचल अधिकारी/थाना प्रभारी, बिरनी से मांगे।<br>To 12/1/23<br>अनुमण्डल दण्डाधिकारी<br>बगोदर-सरिया | 347<br>27/12/22 |

Scanned with CamScanner

संख्या 562

# ...लय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर- सरिया, गिरिडीह

## आदेश पत्रक

मुन्ना दास ..........प्रथम पक्ष

पक्ष बनाम प्रदीप कारक वगैरह ..........द्वितीय पक्ष

देखे अभिलेख हस्तक 1941 का नियम 129

आदेश पत्रक ता० ........................ से ........................ तक

जिला गिरिडीह।

विविध वाद संख्या ....06.... सन् 2023

धारा 144 द०प्र०सं०

| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे गें टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | अभिलेख उपस्थापित। थाना प्रभारी/~~अंचल अधिकारी~~ ....सरिया....के ज्ञापांक सं0....02.... दिनांक ....12/1/23......के द्वारा समर्पित किया गया जॉच प्रतिवेदन के अवलोकन के बाद मैं संतुष्ट हूँ कि भूमि विवाद को लेकर उभय पक्षों में शांति भंग होने की आशंका है एवं टकराव के लिए तत्पर हैं। इस बात से मैं संतुष्ट हूँ कि इस मामले में टकराव को दूर करने तथा इलाके में शांति बनाये रखने के लिए निरोधात्मक कार्रवाई आवश्यक है।<br>इन तथ्यों के आलोक में उभय पक्षों के विरूद्ध धारा 144 द0प्र0सं0 के अंतर्गत कार्यवाई प्रारंभ किया जाता है तथा उभय पक्षों को 60 दिनों के लिए विवादग्रस्त भूमि पर या उसके नजदीक जाने अथवा किसी भी तरह का कार्य करने के लिए प्रतिबंधित किया जाता है तथा रोका जाता है। साथ ही उभय पक्षों से दिनांक....2/2/23 को कारणपृच्छा की मांग की जाती है कि क्यों नहीं एक या दोनों पक्षों के विरूद्ध निरोधात्मक आदेश को सम्पूष्ट किया जाय।<br>अभिलेख दिनांक....2/2/23......को उपस्थापित करें।<br>लेखापित एवं संशोधित।<br>ह० 12/1/23 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया<br>ह० 12/1/23 अनुमण्डल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया | |

Scanned with CamScanner

| श की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 2/2/23 | अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष अनुप०। TO 16/2/23 (हस्ताक्षर) | |
| 16/2/23 | प्रथम पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष अनुप०। प्रथम पक्ष की ओर से धारा 145 द०प्र०सं० के तहत आवेदन दाखिल। अभिलेख, दिनांक 2/3/23 को रखें। | |
| 2/3/23 | प्रथम पक्ष अधिवक्ता हाजिर। द्वितीय पक्ष उप०। द्वितीय पक्ष की ओर से कारण-पृच्छा दाखिल। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा दाखिल दस्तावेजों का अवलोकन किया। अवलोकन बाद थाना प्रभारी बिरनी के प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया तथा उभय पक्षों से कारण पृच्छा की मांग की गई। उभय पक्षों के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल किया गया तथा मौखिक रूप से रखा गया। भी अपना पक्ष | |

| की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | प्रथम पक्ष के अनुसार प्रश्नागत भूमि मौजा नगली थाना - बिहटी में स्थित खाता - 28, प्लाट - 320, रकबा - 9 डी है जो सर्वे खतियान के अनुसार गैर मजरूआ खास की है। भूतपूर्व जमींदार द्वारा सादे हुकुमनामा के द्वारा उनके पूर्वज को बन्दोबस्त किया गया था। उक्त भूमि पर द्वितीय पक्ष के द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके कारण आने-जाने का मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है। प्रथम पक्ष ने अपने दावे के समर्थन में सादा हुकुमनामा की छाया प्रति, खजाना रसीद की छाया प्रति दाखिल किया गया है।<br>द्वितीय पक्ष के द्वारा के अनुसार उन्हें प्रश्नागत भूमि भूतपूर्व जमींदार द्वारा सादा हुकुमनामा से प्राप्त है तथा उनकी रसीद कट रही है। द्वितीय पक्ष के द्वारा राजस्व | |

| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | लगान रसीद एवं पंजी-II की छायाप्रति दाखिल किया गया है।<br>थाना प्रभारी, बिरनी के प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नागत भूमि का उपयोग प्रथम पक्ष के द्वारा पूर्व से अपने घर आने-जाने के लिये एकमात्र रास्ते के रूप में किया जा रहा था। द्वितीय पक्ष के द्वारा चोरी-छिपे उक्त भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। फलतः प्रथम पक्ष का एकमात्र रास्ता भी अवरुद्ध हो जा रहा है।<br>द्वितीय पक्ष के द्वारा दाखिल पंजी-II की छाया प्रति का अवलोकन किया। पंजी-II में मौजा वर्ष 65-66 में खोला गया था जिसमें बाद में प्लाट सं० 320 एवं 1028 अंकित किया हुआ प्रतीत होता है। द्वितीय पक्ष के द्वारा कुल 0.74 3/4 एकड़ जमीन का लगान रसीद दाखिल किया गया है ~~जो [illegible]~~ परन्तु उसके समर्थन जमीन में मात्र 23 डी. भूमि का | |

| आदेश की क्र० सं० और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | हुकुमनामा दाखिल किया गया है।<br>उभय पक्षों के द्वारा दाखिल दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सादा हुकुमनामा के आधार पर पंजी-II में लिटन लेखन कर लगान रसीद निर्गत किया गया है। अत: अंचल अधिकारी का दायित्व होता है कि सरकारी भूमि का संरक्षण करें तथा पंजी-II एवं निर्गत लगान रसीद की जाँच करें।<br>उक्त विवेचन के आलोक में नियमन को प्रथम पक्ष के हित में रिक्त घोषित करता हूँ तथा द्वितीय पक्ष के विरुद्ध निरपेक्ष घोषित करता हूँ।<br>अंचल अधिकारी पंजी-II की जाँच कर आवश्यक कार्यवाई करना सुनिश्चित करें।<br>वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है।<br>SDO | |

Digitally signed by KUNDAN KUMAR
Date: 2023.03.11 14:40:53 +05:30
Location: 192.168.1.7

Scanned with CamScanner